कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती बीना मिश्रा, प्रधानाचार्य, श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, चान्दपोल जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारानी खुर्द, भोपालगढ जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती बीना मिश्रा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 370/2020 (अन्तर्गत अपील सं. 66/2020) बीना मिश्रा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 370/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.02.2020 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 एवं अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 21.11.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना में श्रीमती बीना मिश्रा श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, चान्दपोल जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री नन्दकिशोर दाधीच का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जानादेसर, लूनी जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/बीना मिश्रा/370/2020 दिनांकः 06.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)